



पत्रांक:- / प0प्र0 (ए-2) / पी0आई0यू0जे0 / नीलामी / 2025-26

दिनांक:- 3 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रबन्धक मीडिया गुरु,
नियर-गल्ला मण्डी गेट, सुभाष कॉलोनी,
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।

विषय:- अति अल्पकालीन नीलामी सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालीन नीलामी सूचना को 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के कुमाऊ संस्करण में शासकीय दरों पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाते हुए सम्बन्धित समाचार पत्रों की एक-एक प्रति तथा बीजक (02 प्रतियों में) भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

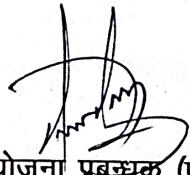
संलग्नक:- अति अल्पकालीन नीलामी सूचना।

परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0, जमरानी,

पत्रांक:- 18 / प0प्र0 (ए-2) / पी0आई0यू0जे0 / नीलामी / 2025-26 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी।
2. उपमहाप्रबन्धक-03, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी को उनके पत्रांक 254 / पी0आई0यू0जे0 / दिनांक 04 / 04 / 2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)।
4. अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड-02, हल्द्वानी / सिंचाई खण्ड हल्द्वानी / नैनीताल।
5. उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. उपराजस्व अधिकारी, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी।
7. श्री हिमांशु काण्डपाल, सहायक परियोजना प्रबन्धक, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी।
8. खण्ड विकास अधिकारी, हल्द्वानी / नैनीताल।
9. जिलेदार, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी।
10. श्री नीरज मिश्रा, श्रेत्रीय अभियन्ता, पी0आई0यू0, जमरानी, हल्द्वानी।
11. नोटिस बोर्ड एवं बैवसाइट।


परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
पी0आई0यू0, जमरानी,



पत्रांक

42/प0प्र0 (ए-2)/पी0आई0यू0जे0/2025-26

दिनांक 03.05.2025

अल्पकालीन नीलामी सूचना

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बॉध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहर-हरिपुरा फीडर कैनाल निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत (किमी0 0.000 से किमी0 2.500) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेड़ों की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 13.05.2025 की अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराहन 2:30 बजे से बोलीदाताओं द्वारा नीलामी समिति के समक्ष बोली जाएंगी। नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	नीलामी हेतु वृक्ष		दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित (रु० में)	जमानत धनराशि जी0एस0टी0 रहित (रु० में)
		प्रजाति	संख्या				
01	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बॉध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहर- हरिपुरा कैनाल क्षेत्रान्तर्गत (किमी0 0.000 से किमी0 2.500) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेड़ों की नीलामी	1. सागौन 2. शीशम 3. यूकेलिप्टस 4. सेमल 5. अन्य	01 04 01 07 39	दिनांक 13.05.2025 समय अपराहन 2:00 बजे	दिनांक 13.05.2025 समय अपराहन 2:30 बजे	590 / -	22,700 / -

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वेबसाईट (www.jamranidam.com) पर देखी जा सकती हैं।


 3/5/25
 परियोजना प्रबन्धक (ए-2)
 पी0आई0यू0 जमरानी
 हल्द्वानी।

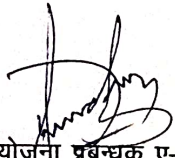


नियम एवं शर्तें -

अति अल्पकालीन नीलामी सूचना

दिनांक: 03.05.2025

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR के रूप में देय होगी जो महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु0 590/- डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में (दो डिमान्ड ड्राफ्ट रु0 500/- एवं रु0 90/-) महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त वृक्ष की नीलामी "जैसा है वैसी स्थिति" में नीलाम किया जाना है।
6. नीलामी के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति को एक माह के भीतर वृक्ष उठाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नीलामी निरस्त करते हुए पेड़ों का जव्त कर लिया जायेगा।
7. वृक्ष का आरक्षित मूल्य रु0 2,26,888.00 लाख (जी0एस0टी0 रहित) मात्र है। रु0 2,26,888.00 लाख से सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा (महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में) जिसके उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
8. जिस व्यक्ति/ फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि वृक्ष उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/ फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर नीलाम होने वाले पेड़ों का भली भांति निरीक्षण कर लें। बाद में कोई क्लेम अथवा वाद स्वीकार नहीं होगा।
10. ऐसे ठेकेदार जिन पर सिंचाई विभाग का पूर्व का धन शेष है या विभाग के विरुद्ध कोई वाद दायर किया हो या अन्य किसी कारणवश विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो, उनको नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. नीलामी स्वीकार होने के पश्चात पेड़ों की रखवाली स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। नीलाम हुए पेड़ों की चोरी हाने पर ठेकेदार का कोई भी क्लेम, दावा स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। पेड़ों की जड़ों की खुदाई एवं निकासी स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
12. बोलीदाता को नीलामी स्थल पर प्रवेश हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड) लाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
13. वन विभाग से सम्बंधित कार्यवाही एवं अन्य औपचारिकतायें बोलीदाता को स्वयं करनी होगी।
14. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
15. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
17. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता को ही नीलामी स्थान में प्रवेश करने दिया जायेगा।
18. भविष्य में इस नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारीयां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
19. अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


 परियोजना प्रबन्धक ए-2
 पी0आई0यू0, जमरानी
 हल्द्वानी

उपरोक्त सभी शर्तों को आज दिनांक को पढ़कर, एवं सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो परियोजना प्रबन्धक पी0आई0यू0, जमरानी को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।